(b) Does not aris·.

234. [*Transferred o the 29th July, 1969.*]

COCHIN S IIPYARD

235. SHRI G. GOPINATHAN NAIR :
SHRI K. P SUBRAMANIA MENON :

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the progress so far made in the work of the shipyard project at Cochin : and

(b) whether the land acquired for the purpose of the Project has been utilised for any other purpose ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SARDAR IQBAL SINGH) : (a) The Revised Project Report and Preliminary Design prepared by M/s. Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Tokyo have been received and are under examination. In the meantime action has been initiated in regard to preparatory works like acquisition of land, construction of diversion road, land and soil survey, provision of power and water supply etc.

(b) No, Madam.

दक्षिण में हिंदी को प्रोत्साहन

236. **श्री दयाल दास कुर्रे** : क्या **शिक्षा तथा युवा-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण के राज्यों की शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे है; और

(ख) दक्षिण के कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को स्वीकार किया है और किन किन राज्यों ने उसे स्वीकार नहीं किया है ?

†[PROMOTION OF HINDI IN THE SOUTH

236. SHRI DAYALDAS KURRE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the steps that are being taken by the Central Government to promote Hindi language in educational institutions of the Southern States ; and

(b) what are the names of the Southern States which have and which have not accepted the scheme sponsored by the Centre ?]

शिक्षा तथा युव-सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) दक्षिण के राज्यों तथा अन्य हिन्दीतर भाषी राज्यों की शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :

(1) स्कूलों में हिन्दी के अध्ययन की व्यवस्था के लिए हिन्दीतर भाषी राज्यों की सरकारों को मिडिल, हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शत-प्रति-शत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(2) हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए हिन्दीतर भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय खोलने के लिए शत-प्रति-शत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(3) हिन्दी माध्यम के सरकारी मान्यता तथा सहायता प्राप्त स्कूलों को घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(4) स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में हिन्दी की कुछ पुस्तकें प्रतिवर्ष निःशुल्क वितरण की जाती है ।

†[ ] English translation.